**भारत सरकार**
**महिला एवं बाल विकास मंत्रालय**
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या 2093**
दिनांक 01 अगस्त, 2025 को उत्तर के लिए

**मिशन शक्ति**

**2093. श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे:**
**श्री भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे:**
**श्रीमती भारती पारधी:**

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मिशन शक्ति के आरंभ से देशभर में, विशेष रूप से महाराष्ट्र के लोक सभा क्षेत्रों में, महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण के संबंध में इसके समग्र प्रभाव का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार अन्य मंत्रालयों और राज्य सरकार के सहयोग से जमीनी स्तर पर 'संबल' और 'सामर्थ्य' जैसे विभिन्न घटकों का प्रभावी अभिसरण कैसे सुनिश्चित कर रही है;

(ग) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं और दिव्यांग महिलाओं सहित सबसे संवेदनशील महिलाओं तक पहुँचने वाले वास्तविक लाभों की निगरानी के लिए कोई विशिष्ट तंत्र मौजूद है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान 'संबल' और 'सामर्थ्य' घटकों के लिए जारी की गई तथा उपयोग की गई धनराशि का राज्यवार और विशेष रूप से महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में घटकवार ब्यौरा क्या है और धनराशि का बहुत कम उपयोग किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) उक्त योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को धनराशि का समय पर संवितरण सुनिश्चित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**
**महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री**
**(श्रीमती सावित्री ठाकुर)**

(क): केंद्र सरकार देश में महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तीकरण सुनिश्चित करने को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश राज्यों सहित देश में विभिन्न

विधायी और योजनाबद्ध/नीतिगत कार्यकलाप किए हैं। इनमें "भारतीय न्याय संहिता", "भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता", "भारतीय साक्ष्य अधिनियम", "घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005", "दहेज निषेध अधिनियम, 1961", "कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013" आदि जैसे कानून शामिल हैं।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय 15वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान, वित्तीय वर्ष 2022-23 से, महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए देश में केंद्र प्रायोजित योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहा है, जिन्हें तीन वर्टीकल अर्थात् : (1) मिशन शक्ति, महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षण और सशक्तीकरण के लिए; (2) सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0, देश में पोषण और स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार के लिए; और (3) मिशन वात्सल्य, कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के संरक्षण और कल्याण के लिए विभाजित किया गया है मिशन शक्ति के अंतर्गत योजना का विवरण इस प्रकार है:

(i) मिशन शक्ति: 'मिशन शक्ति' का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तीकरण के लिए कार्यकलापों को सुदृढ़ करना है। इसमें दो वर्टिकल 'संबल' और 'सामर्थ्य' शामिल हैं। "संबल" वर्टिकल महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा के लिए है और इसके प्रमुख घटक में वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) शामिल हैं, जो जिला स्तर पर स्थित एक संस्था है जो संकटग्रस्त महिलाओं को एक ही स्थान पर अस्थायी आश्रय, चिकित्सा और पुलिस सहायता, परामर्श और कानूनी सहायता जैसी तत्काल मदद प्रदान करती है। आज तक, 843 ओएससी कार्यशील हैं। ओएससी ने दिनांक 30.06.2025 तक 11.94 लाख महिलाओं की सहायता की है। महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल) 181 घटक सहायता और जानकारी चाहने वाली महिलाओं को 24 घंटे टोल-फ्री दूरसंचार सेवा प्रदान करता है। महिला हेल्पलाइन ने दिनांक 31.05.2025 तक प्राप्त 2.30 करोड़ से अधिक कॉलों पर कार्रवाई की हैं और 88.22 लाख से अधिक महिलाओं की सहायता की है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ घटक मुख्य रूप से बालिकाओं को महत्व देने की दिशा में मानसिकता में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए जमीनी स्तर पर कार्यकलाप करने के लिए है।

"सामर्थ्य" वर्टिकल महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए है। मंत्रालय दिनांक 01.01.2017 से देश भर में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का घटक कार्यान्वित करता है, जिसके तहत पात्र महिला लाभार्थियों को पहले बच्चे के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण मोड में 5,000/- रुपये और दूसरे बच्चे के लिए 6,000/- रुपये प्रदान किए जाते हैं, अगर दूसरा बच्चा बालिका है। प्रोत्साहन का उद्देश्य स्वास्थ्यवर्धक व्यवहार को बढ़ावा देना और मजदूरी के नुकसान के लिए आंशिक मुआवजा देना, साथ ही बालिकाओं को महत्व देने के प्रति व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाना है। शक्ति सदन दुर्व्यापार की गई महिलाओं सहित संकटग्रस्त महिलाओं के लिए एक एकीकृत राहत और पुनर्वास गृह है। इसका उद्देश्य ऐसी कठिन

परिस्थितियों में रहने वाली महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और अनुकूल वातावरण बनाना है ताकि वे प्रतिकूल परिस्थितियों से उबर सकें। सखी निवास (कामकाजी महिला छात्रावास) का उद्देश्य शहरी, अर्ध-शहरी और यहां तक कि ग्रामीण क्षेत्रों जहां महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर मौजूद हैं, में कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक स्थान पर आवास की उपलब्धता को बढ़ावा देना है। संकल्प: महिला सशक्तीकरण केंद्र महिलाओं के लिए उपलब्ध योजनाओं और सुविधाओं के बारे में सूचना और ज्ञान के अंतर को पाटने के लिए एक साधन के रूप में कार्य करता है।

मिशन शक्ति के उपर्युक्त घटकों के अंतर्गत महाराष्ट्र के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के नागरिकों के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(ii) महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा और संरक्षा के लिए, निर्भया कोष के तहत कई परियोजनाएं/योजनाएं महाराष्ट्र के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों सहित पूरे देश में कार्यान्वित की गई हैं/ कार्यान्वित की जा रही हैं। इनमें आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस)-112, पुलिस स्टेशनों में महिला सहायता डेस्क (डब्ल्यूएचडी) की स्थापना/सुदृढ़ीकरण, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध रोकथाम (सीसीपीडब्ल्यूसी), जिसके तहत एक राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (www.cybercrime.gov.in) बनाया गया है, राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं (एसएफएसएल) में साइबर फोरेंसिक और संबंधित सुविधाएं, वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल)-181 का सार्वभौमिकरण, राज्यवार वाहन ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म (वीटीपी), फोरेंसिक साक्ष्य संग्रह में जांच अधिकारियों (आईओ)/अभियोजन अधिकारियों (पीओ)/चिकित्सा अधिकारियों (एमओ) का प्रशिक्षण, बलात्कार और पॉक्सो अधिनियम के तहत लंबित मामलों का निपटान करने के लिए फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों (एफटीएससी) की स्थापना, मानव दुर्व्यापार विरोधी इकाइयों (एएचटीयू) की स्थापना/सुदृढ़ीकरण, मुंबई सहित 8 प्रमुख शहरों में सुरक्षित शहर परियोजना आदि शामिल हैं।

सरकार, राष्ट्रीय महिला आयोग जैसी संस्थाओं और राज्यों में उनकी समकक्ष संस्थानों के माध्यम से, महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा और संरक्षा के बारे में तथा कानून के विभिन्न प्रावधानों के बारे में भी लोगों को जागरूक करने के लिए सेमिनारों, कार्यशालाओं, श्रव्य-दृश्य, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आदि के माध्यम से जागरूकता फैला रही है। इसके अतिरिक्त, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने समय-समय पर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा और संरक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिशानिर्देश जारी किए हैं।

(ख) और (ग): मिशन शक्ति के अंतर्गत, संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की संस्थाओं/क्षेत्रीय संरचनाओं के साथ जमीनी स्तर पर गतिविधियों के समन्वय के माध्यम से परस्पर प्रभावी तालमेल सुनिश्चित किया जाता है।

मंत्रालय ने यह सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट भौतिक और डिजिटल निगरानी तंत्र स्थापित किए हैं कि वास्तविक लाभ सबसे कमजोर महिलाओं तक पहुँचें जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाएँ और विकलांग महिलाएँ भी शामिल हैं।केंद्रीय स्तर पर एक कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) है, जो मिशन शक्ति के विभिन्न घटकों के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नए प्रस्तावों को मंजूरी देता है और योजनाओं/परियोजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा भी करता है तथा सुधार के लिए उचित उपाय करता है। इसी प्रकार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विभाग स्तर पर तथा जिला प्रशासन अपने स्तर पर समय-समय पर परियोजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा करते हैं। मंत्रालय विभिन्न स्तरों पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ समय-समय पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, प्रत्यक्ष बैठकों और अधिकारियों के क्षेत्रीय दौरों के माध्यम से योजना की प्रगति की निगरानी करता है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने मिशन शक्ति पोर्टल आरंभ किया है जो मिशन शक्ति के विभिन्न घटकों के माध्यम से लाभार्थियों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं का पूरा विवरण प्रस्तुत करता है। इसके अलावा, योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आसानी से आवेदन करने और उनके प्रक्रियान्वयन के लिए एक पीएमएमवीवाई सॉफ्ट एप्लिकेशन भी उपलब्ध कराया गया है।

संकल्प: महिला सशक्तीकरण केंद्र (एचईडब्ल्यू) मिशन शक्ति का प्रमुख घटक है, जो एकल खिड़की समन्वय मंच के रूप में कार्य करके अंतर-क्षेत्रीय तालमेल की सुविधा प्रदान करता है तथा महिला सशक्तीकरण आवश्यकताओं का व्यापक समाधान करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के संसाधनों और सेवाओं को एकीकृत करता है। जिला स्तरीय संकल्प केन्द्र, ग्राम पंचायतों के साथ मिलकर काम करते हैं, अग्रिम पंक्ति (फ्रंट लाईन) के कार्यकर्ताओं का उपयोग करते हैं, लाभार्थियों के साथ सीधा संपर्क स्थापित करते हैं तथा अंतिम लाभार्थी तक प्रभावी सेवा प्रदान करते हैं। यह दृष्टिकोण लक्षित आईईसी सामग्रियों के प्रसार को सुनिश्चित करके, स्थानीय जागरूकता अभियान आयोजित करके, तथा स्कूलों, कॉलेजों और सार्वजनिक मंचों पर जेंडर संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित करके जागरूकता सृजन और सरकारी योजनाओं तक पहुंच में सुधार करता है। पालना घटक के अंतर्गत, आंगनवाड़ी केन्द्रों और स्वास्थ्य विभाग के कार्यकर्ताओं के सहयोग से बच्चों के पोषण संबंधी सहायता, स्वास्थ्य और संज्ञानात्मक विकास, शारीरिक वृद्धि निगरानी और टीकाकरण आदि सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इसी प्रकार, ओएससी और शक्ति सदन आवश्यकतानुसार पुलिस विभाग, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, स्वास्थ्य विभाग/अस्पतालों और अन्य हितधारकों के साथ मिलकर काम करते हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ घटक के अंतर्गत, राज्य/जिला स्तर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास और अन्य संबंधित विभागों के समन्वय से गतिविधियाँ आयोजित की जाती हैं।

(घ): पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान 'संबल' और 'सामर्थ्य' घटकों के अंतर्गत जारी की गई निधि और प्राप्त उपयोग प्रमाणपत्रों (यूसी) का राज्यवार और घटकवार तथा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्यों के संबंध में विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

(ङ): योजना के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समय पर निधि का वितरण सुनिश्चित करने हेतु सरकार ने एसएनए स्पर्श मॉडल आरंभ किया गया है ताकि वित्तीय प्रबंधन प्रणाली की दक्षता में सुधार हेतु निधि सही समय पर जारी की जा सके। विधानसभा वाले सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र चरणबद्ध तरीके से एसएनए स्पर्श मॉडल के अंतर्गत शामिल किए हैं। उन सभी राज्यों के संबंध में, जिन्होंने एसएनए स्पर्श प्लेटफॉर्म को अपनाया है और निर्धारित शर्तों का पालन किया है, उन्हें वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रारंभिक मदद राशि जारी की जा चुकी है। सरकार द्वारा कार्यान्वित किया गया नया मॉडल आवश्यकतानुसार बिल प्रस्तुत करने की अनुमति देता है, जिससे समय पर और आवश्यकता-आधारित निधि प्रवाह सुगम होता है।

****

'मिशन शक्ति' के संबंध में दिनांक 01.08.2025 को उत्तर दिए जाने हेतु लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 2093 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक:

**अनुलग्नक**

**मिशन शक्ति के अंतर्गत वर्ष-वार; घटक-वार जारी निधि**

**(लाख रुपये)**

| मिशन शक्ति के घटक | 2022-23 | | 2023-24 | | 2024-25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | जारी की गई राशि | प्राप्त यूसी | जारी की गई राशि | प्राप्त यूसी | जारी की गई राशि | प्राप्त यूसी |
| **संबल** | | | | | | |
| वन स्टॉप सेंटर | 6572.61 | 4430.38 | 18972.89 | 16609.08 | 15681.22 | 20493.72 |
| महिला हेल्पलाइन | 3744.00 | 68.37 | 7525.00 | 1273.24 | 1089.00 | 1187.02 |
| बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ | 9015 | 1929.70 | 8748.59 | 10877.28 | 3147.5 | 10214.9 |
| नारी अदालत | 0.00 | 0.00 | 42.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 |
| **सामर्थ्य** | | | | | | |
| पीएमएमवीवाई | 198824 | 186950 | 85642 | 67948 | 144494 | 185067 |
| महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए हब | 4990.20 | 3759.19 | 7203.78 | 4486.60 | 3735.94 | 0.00 |
| पालना | 468.31 | 468.31 | 6415.54 | 4024.00 | 4517.35 | 0.00 |
| सखी निवास | 1762.79 | 832.08 | 452.24 | 272.03 | 813.66 | 357.46 |
| शक्ति सदन | 1544.83 | 1412.45 | 11897.97 | 10763.73 | 8497.76 | 1408.78 |

**मिशन शक्ति के अंतर्गत महाराष्ट्र को वर्ष-वार; घटक-वार जारी की गई निधि**

**(लाख रुपये)**

| मिशन शक्ति के घटक | 2022-23 | | 2023-24 | | 2024-25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | जारी की गई राशि | प्राप्त यूसी | जारी की गई राशि | प्राप्त यूसी | जारी की गई राशि | प्राप्त यूसी |
| **संबल** | | | | | | |
| वन स्टॉप सेंटर | 69.37 | 325.91 | 1539.69 | 1239.09 | 0.00 | 1081.85 |
| # महिला हेल्पलाइन | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.80 | 100.57 |
| बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ | 0.00 | 5.07 | 0.00 | 270.3 | 265.0 | 0.00 |
| **सामर्थ्य** | | | | | | |
| पीएमएमवीवाई | 24083 | 15286 | 0 | 2684 | 14117 | 12594 |
| महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए हब | 0.00 | 0.00 | 921.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| पालना | 0.00 | 0.00 | 232.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| सखी निवास | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.55 | 0.00 |
| शक्ति सदन | 0.00 | 0.00 | 338.19 | 338.19 | 1016.77 | 214.66 |

*# राज्य ने वर्ष 2015-16 के दौरान जारी 62.70 लाख रुपये का अनुदान खर्च नही किया था। इसलिए, राज्य वर्ष के दौरान आगे और अनुदान पाने का पात्र नहीं था।*

## मिशन शक्ति के अंतर्गत मध्य प्रदेश को वर्ष-वार; घटक-वार जारी की गई निधि

**(लाख रुपये)**

| मिशन शक्ति के घटक | 2022-23 | | 2023-24 | | 2024-25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | जारी की गई राशि | प्राप्त यूसी | जारी की गई राशि | प्राप्त यूसी | जारी की गई राशि | प्राप्त यूसी |
| **संबल** | | | | | | |
| वन स्टॉप सेंटर | 261.54 | 328.45 | 820.48 | 1120.32 | 2225.83 | 1521.55 |
| महिला हेल्पलाइन | 54.09 | 0.00 | 38.30 | 84.89 | 56.70 | 68.55 |
| बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ | 570 | 424.88 | 1368.60 | 652.3 | 0.00 | 949.7 |
| **सामर्थ्य** | | | | | | |
| पीएमएमवीवाई | 20402 | 10121 | 10521 | 9527 | 25700 | 26464 |
| महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए हब | 0.00 | 0.00 | 495.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| पालना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| सखी निवास | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| शक्ति सदन | 23.17 | 23.17 | 341.52 | 124.66 | 0.00 | 0.00 |

*****